



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन-सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना-800022

ई-मेल—pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल—9431283596

प्रेस-विज्ञप्ति

राज्यपाल ने बिहारवासियों से 'जनता कर्फ्यू' में शामिल होने की अपील की

पटना, 21 मार्च 2020

महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के आलोक में कल रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहनेवाले 'जनता कर्फ्यू' में शामिल होकर महामारी का रूप ले चुके 'नोवल कोरोना वायरस' (COVID-19) के संक्रमण के प्रसार को रोकने में भरपूर सहयोग की अपील बिहारवासियों से की है।

राज्यपाल श्री चौहान ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'राष्ट्र के नाम अपने संदेश' (दिनांक 19 मार्च, 2020) में सभी भारतवासियों से 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक स्वतः आत्मसंयमपूर्वक 'जनता कर्फ्यू' के अनुपालन की अपील की थी। राज्यपाल ने सभी बिहारवासियों से अनुरोध किया है कि वे अपने संयम, संवेदनशीलता, संकल्प और सहयोग-भाव का पूरा परिचय देते हुए 'जनता कर्फ्यू' में स्वतः शामिल होकर इस संकट से मुकाबले में अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त करें।

राज्यपाल ने कहा है कि कर्तव्य के प्रति दृढ़निष्ठा रखते हुए मानवता की सेवा में लगे सभी चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों आदि के प्रोत्साहन हेतु सभी नागरिकों को कल 22 मार्च की शाम 5 बजे 5 मिनट तक ताली-थाली, घंटी आदि बजाकर अपना आभार भी प्रकट करना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा है कि 60-65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों और बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है, जिसका गंभीरता से पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 'रूटीन चेक-अप' मात्र के लिए अस्पताल जाने से नागरिकों को परहेज करना चाहिए तथा डॉक्टरों की राय प्राप्त करते हुए बहुत जरूरी नहीं होने पर सर्जरी की निर्धारित तिथि भी आगे बढ़वा लेनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि आनेवाले कुछ सप्ताह 'कोरोना वायरस' के संक्रमण के प्रतिकार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हमें अपने साहस, संयम, संकल्प, सहयोग और सावधानी का पूरा परिचय देना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा है कि सरकार आश्वस्त कर चुकी है कि खाद्यान्न या अन्य किसी भी वस्तु की कोई कमी संबंधित दुकानों पर नहीं होने दी जायेगी तथा जमाखोरों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अतएव, नागरिकों को बेवजह खाद्यान्न या अन्य सामग्री-संग्रह से बचना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि 'Panic Buying' किसी भी तरह राज्यवासियों के हित में नहीं है।

राज्यपाल ने व्यापारी जगत्, निजी कंपनियों या उच्च आय वर्ग वाले सभी व्यक्तियों से भी गुजारिश की है कि वे पूरी मानवीयता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उक्त महामारी की वजह बरती जा रही सावधानीवश हुई गैरहाजिरी के कारण अपने अधीनस्थ कार्यरत किसी भी कर्मचारी/मजदूर आदि के वेतन/मजदूरी में कटौती नहीं करें।

राज्यपाल ने कहा है कि 'कोरोना वायरस' से जूझ रहे समाज और देश में अफवाहों के फैलने से समस्या और गंभीर हो जाएगी। बिहार सरकार ने 'महामारी अधिनियम' के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलानेवालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। राज्यपाल श्री चौहान ने राज्यवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य-संगठनों के मार्ग-निर्देशों पर ही तत्परतापूर्वक अमल की गुजारिश की है।

.....